

योजना का स्वरूप

प्रस्तावना

राष्ट्रीय समविकास योजना के अंतर्गत पिछड़े जिले में पहल शुरू की गयी है जिसका मुख्य उद्देश्य केन्द्र व राज्यों के सयुक्त प्रयास से कार्यक्रमों और नीतियों को व्यवस्थित करना है जिससे विकास के अवरोध दूर होंगे, विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा। इस स्कीम का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए सकेन्द्रित विकास कार्यक्रम है जिससे असंतुलन कम करने और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

उद्देश्य

स्कीम का मुख्य उद्देश्य निम्न कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी की समस्याओं को हल करना है तथा भौतिक एवं सामाजिक अवसररचना के महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटना है तदनुसार, जिला शासन/पंचायती राज संस्थाओं से अपेक्षा की जाएगी कि वे वार्षिक कार्य योजनाओं के ताने बाने के साथ-साथ तीन वर्षीय मास्टर प्लान तैयार करें यह योजना एम. डब्ल्यू.ओटी (स्वॉट) (क्षमताओं, कमजोरियों अवसरों और धमकियों के विश्लेषण चालू स्कीमों की समीक्षा और कुछ अग्रणी क्षेत्रों की पहचान पर आधारित होगी राज्य के हस्तक्षेप से विकास की प्रमुख बाधाओं को दूर करने में उस जिले को सहायता मिलेगी। यह अतिरिक्त सहायता इन अग्रणी क्षेत्रों में स्कीमों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाई जाएगी जिससे कि समयबद्ध तरीके से उस जिले की गरीबी कम होगी। किसी राज्य में पिछड़े जिलों की पहचान पिछड़ापन सूचकांक के आधार पर की गई है जिसके समान महत्व के तीन पैरामीटर्स हैं वे हैं :- (1) प्रति कृषि कामगार के उत्पादन का मूल्य, (2) कृषि मजदूरी दर, और (3) उस जिले की अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत। प्रत्येक राज्य में जिलों की संख्या का आंकलन निर्धनता के प्रसार के आधार पर किया गया है इसके अलावा, बत्तीस जिले जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं को भी कवर किया जाएगा। प्रथम चरण वर्ष 2003-04 में प्रदेश के दो जिलों बस्तर एवं दन्तेवाड़ा का चयन किया गया है। द्वितीय चरण वर्ष 2004-05 में दो जिले राजनादंगांव एवं कबीरधाम तथा तीसरे चरण में जशपुर, काकेंर, बिलासपुर और सरगुजा इस योजना के अंतर्गत चयनित हैं।